

भोपाल, दिनांक. 8/12/2016

//आदेश//

म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/2008 नियम-4 दिनांक 24 जनवरी-2008, एवं परिपत्र दिनांक 01.04.2008, 17.09.2008, 24.09.2008 तथा दिनांक 07.11.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसानुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप निम्नलिखित निज सहायकों को उच्चतर समयमान वेतनमान में वेतन बैंड रु.15600-39100+ ग्रेड पे रु. 5400/- उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक से स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स. क्र.	कर्मचारी का नाम	प्रथम नियुक्ति का दिनांक	तृतीय समयमान वेतनमान पात्रता का दिनांक
1	श्री ए.के.श्रीवास्तव	28.06.79	01.07.2014
2	श्री गोविन्द प्रसाद प्रजापति	16.04.79	01.07.2014
3	श्री धनेश प्रसाद मिश्रा	21.10.86	21.10.2016

सामान्य शर्त -

1. समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार, दिनांक 23/03/2009 एवं समसंख्यक क ज्ञाप दिनांक 25/05/2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र-2 पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिये जावे।
2. समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है, तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा, परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।


08.12.16

(एम.जी.चोबे)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 8/12/2016

पृ.क्र. 3329500/28/2016
प्रतिलिपि:-

} 3173

1. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा, म.प्र.।
2. निज सहायक प्रमुख अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. वेब मैनेजर, परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना, भोपाल।
4. सम्बन्धित श्री द्वारा स.क्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित। संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जांच संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही करें।


08.12.16
(एम.के.परिहार)

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)

06.12